प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन जम्मू तथा कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 82(1) के अंतर्गत आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू तथा कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को प्रेषित की जा रही है।

इस प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार की गई सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभागों/ स्वायत्त निकायों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में वे मामलें शामिल हैं जो वर्ष 2017-18 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वो मामले भी जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।